"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2003—पौष 25, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी, 2003

अधिसूचना

क्रमांक 120/डी-2956/21-ब/छ. ग.—स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1775/डी-424/21-ब/छ. ग., दिनांक 23-4-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक 1775/डी-424/21-ब/छ. ग., दिनांक 23-4-2001 के नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लिखित स्थान में पदस्थ करता है, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	विद्यमान अधिकारी का नाम (2)	नव पदस्थ अधिकारी का नाम (3)	जिले का नाम (4)
1.	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	श्री आर. के. राठी	बिलासपुर

Raipur, the 4th January 2003

NOTIFICATION

No. 120/D-2956/21-B/(CG).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes the following amendment in the department Notification No. 1775/D-424/21-B/CG, dt. 23-4-2001.

AMENDMENT

In the notification No. 1775/D-424/21-B/CG, dt. 23-4-2001 for the officer mentioned in column (2) of the Schedule below the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

S. No.	Name of the existing Officer	Name of the newly posted Officer.	Name of the District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Pradeep Kumar Shrivastava	Shri R. K. Rathi	Bilaspur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.